भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2514
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/ 8 श्रावण, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

पीएसीएस परियोजना के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव

2514. श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की प्राथमिक कृषि साख सोसायटी (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत पीएसीएस का पहले से ही कम्प्यूटरीकरण कर चुके राज्यों के लिए क्या प्रावधान हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(ग) उक्त परियोजना से किन किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है**?**

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): अब तक 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 67**,**930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं**,** जिसके लिए संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक स्वीकृत पैक्स की संख्या और भारत सरकार के जारी किए गए शेयर का विवरण **अनुबंध** पर संलग्न है।

(ख): जिन राज्यों ने पहले ही अपनी पैक्स का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है**,** वे परियोजना के साथ एकीकृत हो सकते हैं। परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे पैक्स जो कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं, उनके लिए राज्यों को प्रति पैक्स 50,000/- रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति इस शर्त पर की जाएगी कि वे अपने सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय पैक्स सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करेंगे । इसके साथ ही, उनके हार्डवेयर अपेक्षित विनिर्देशों को भी पूरा करते हों तथा राज्यों द्वारा पैक्स कंप्यूटरीकरण का कार्य केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटरीकरण की बजट घोषणा की तारीख, अर्थात् 01 फरवरी, 2017 को या उसके बाद प्रारंभ किया गया हो ।

(ग): भारत सरकार कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है. ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स की कार्यकुशलता में दक्षता लाता है।

इसके अलावा, पैक्स की व्यवहार्यता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर उन्हें सक्रिय आर्थिक संस्थाएं बनाने के लिए उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए हैं। ये पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीजों, एलपीजी / सीएनजी / पेट्रोल / डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यापार प्रतिनिधि गतिविधियों आदि सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे। मॉडल उपनियमों को अपनाने से, पैक्स बहु-सेवा केंद्रों के रूप में सेवा करने में सक्षम होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वे पैक्स की परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में मदद करेंगे जिससे किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान प्राप्त होंगी और इससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। अब, पैक्स को सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही 300 से अधिक ई-सेवाओं को वितरित करने में सक्षम बनाया गया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि शामिल हैं।

लगभग 1.05 लाख पैक्स से 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। 'पैक्स के कम्प्यूटरीकरण' परियोजना से जुड़ी उपर्युक्त पहलें किसानों की अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाती हैं। यह पैक्स की आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण में भी मदद करते हुए इस प्रकार किसान सदस्यों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

*****

अनुबंध

पैक्स कंप्यूटरीकरण की परियोजना			
क्रम सं.	**राज्य**	**अनुमोदित पैक्स की संख्या**	**जारी किया गया भारत सरकार का हिस्सा (रुपए)**
1	आंध्र प्रदेश	2,037	186,747,271
2	अरुणाचल प्रदेश	14	2,700,000
3	असम	583	88,625,000
4	बिहार	4,495	329,500,000
5	छत्तीसगढ़	2,028	148,600,000
6	गोवा	58	4,450,000
7	हरियाणा	710	72,916,000
8	हिमाचल प्रदेश	1789	168,800,000
9	झारखंड	1,500	109,900,000
10	कर्नाटक	5,491	556,400,000
11	मध्य प्रदेश	4,536	586,525,000
12	महाराष्ट्र	12,000	1,215,950,000
13	मणिपुर	232	25,500,000
14	मेघालय	112	12,300,000
15	मिजोरम	25	2,700,000
16	नागालैंड	231	28,168,555
17	पंजाब	3,482	255,200,000
18	राजस्थान	6,781	670,786,131
19	सिक्किम	107	20,800,000
20	तमिल नाडु	4,532	456,820,000
21	त्रिपुरा	268	55,915,354
22	उत्तर प्रदेश	5,686	535,841,650
23	पश्चिम बंगाल	4,167	305,400,000
24	उत्तराखंड	670	36,874,057
25	गुजरात	5,754	583,000,000
26	जम्मू और कश्मीर	537	67,678,040
27	पुड्डुचेरी	45	6,075,000
28	अंडमान और निकोबार	46	6,881,462
29	लद्दाख	10	1,200,000
30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	-
कुल		**67,930**	**6,542,253,520**